



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय  
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)  
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION  
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक : सं.अ.सं./194  
दिनांक : 23/05/2019

सत्र जुलाई 2019 हेतु वार्षिक नवीनीकरण शुल्क ऑनलाईन जमा करने हेतु सूचना

सत्र जुलाई 2019 हेतु संबद्ध अध्ययन संस्थाओं का वार्षिक नवीनीकरण शुल्क जमा करने हेतु एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड का पोर्टल [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) दिनांक 01 जून 2019 से 30 जून 2019 के मध्य खोला जा रहा है। समस्त अध्ययन संस्थाओं को रेग्यूलेशन क्र. 18/2008 की कंडिका 2.14 के अनुसार अपना नवीनीकरण कराना आवश्यक है। संस्थाएँ कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों हेतु कंडिका 11.4(E) तथा मीडिया पाठ्यक्रमों हेतु कंडिका 10.4(E) के अनुसार कृपया शुल्क जमा करें।

जिन अध्ययन संस्थाओं का पूर्व के सत्रों का नवीनीकरण शुल्क बकाया है तथा सुरक्षा निधि की राशि भी बकाया है, उन संस्थाओं को अपनी समस्त सुरक्षा निधि राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी सत्र जुलाई 2019 के नवीनीकरण शुल्क के साथ ऑनलाईन जमा करना आवश्यक है। सभी संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ अपनी बकाया राशि ऑनलाईन जमा करना सुनिश्चित करें। पूर्व के सत्रों का नवीनीकरण शुल्क तथा सुरक्षा निधि की (ब्याज सहित) बकाया राशि जमा होने पर ही सत्र जुलाई 2019 का नवीनीकरण शुल्क ऑनलाईन स्वीकार किया जा सकेगा। बकाया राशि की जानकारी एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध है।

जो अध्ययन संस्थाएँ वर्तमान में 'नो एडमिशन' कैटेगरी में हैं, उन्हें भी समस्त बकाया राशि एवं सत्र जुलाई 2019 का नवीनीकरण शुल्क जमा करना आवश्यक है।

जिन अध्ययन संस्थाओं से निर्धारित अंतिम तिथि 30/06/2019 तक समस्त बकाया राशि तथा सत्र जुलाई 2019 का नवीनीकरण शुल्क प्राप्त नहीं होगा उन्हें रेग्यूलेशन क्र. 18/2008 की कंडिका 13.3 के अंतर्गत 'नो एडमिशन' कैटेगरी में बिना पूर्व सूचना के डाल दिया जायेगा।

*M. Maheshwari*  
23. May. 2019  
(डॉ. मनीष माहेश्वरी)  
निदेशक (ए.एस.आई.)